उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या– G25268 /189/2016–17/ दिनांक 6/10/17

कार्यालय ज्ञाप

बोर्ड की 99वीं बैठक की कार्यसूची संख्या 99.05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना व उद्योगपरक वातावरण प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी. आई.पी.पी.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Best practices to improve the Business environment across states in India" विषय एवं "Ease of Doing Business" में निर्धारित राज्य से उद्यम लगाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ 72608/32/2016 दिनांक 20.01.2016 का अतिक्रमण करते हुए लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु एक साथ प्रदान की जाने वाली संचालन सहमति की अधिकतम अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	विवरण	निर्णित सहमति की अवधि
1–	लाल श्रेणी के प्रदूषकारी उद्योग	02 वर्ष
2–	नारंगी श्रेणी के उद्योग	05 वर्ष
3–	हरी श्रेणी के उद्योग	10 वर्ष

उपरोक्तानुसार उद्योगों से सहमति प्राप्त करने संबंधी पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जितनी अवधि हेतु सहमति आवेदित की जानी है, उतनी अवधि का निर्धारित सहमति शुल्क एक साथ देय होगा तथा सामान्य परिस्थिति में उपरोक्तानुसार अंकित अधिकतम अवधि हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सहमति आदेश निर्गत किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित इकाई का समय–समय पर अनुश्रवण किया जाना व सहमति शर्तों की अवहेलना की स्थिति में सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति खण्डित भी की जा सकेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पू0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईगों के नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)